शासनादेश संशोधन

संख्या- 12/2018/637/33-3-2018-100(21)/2014

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ0प्र0 शासन।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय- व्ययक में प्रावधानित धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-10/2018/497/33- 3- 2018-100(21)/2014 दिनांक 07.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 1000 लाख में रू. 998.76 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 (14) में **''स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।''** के आदेश दिए गए हैं।

शासनादेश दिनांक 28.02.2018 के आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017-19 के समाप्त होने में मात्र 01 माह का समय शेष है। अत: अंत्येष्टि स्थल हेतु आवंटित की गयी धनराशि को दो किश्तों में आहरित किए जाने एवं धनराशि को जनपदों को अवमुक्त किए जाने में कठिनाई होगी।

अत: आपके पत्र संख्या-1/1093/2017-1/585/2017 दिनांक 07.03.2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28.02.2018 के प्रस्तर-1 (14) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

''स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त किया जायेगा।''

http://shasnadeshup.nic.in

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in